न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 420 / 2023

वाद पत्र अं0 धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लखवीर सिह दतक पुत्र श्री चणन सिह जाति जटसिख निवासी–लीलावाली , तह0 संगरिया जिला–हनुमानगढ़,(राज0) –वादी

बनाम्

1. परमजीत सिह पुत्र श्री आत्मा सिह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तह संगरिया जिला हनुमानगढ़,(राज0)
2. मूर्ति कौर पत्नि श्री लखवीर सिह जाति जटसिख निवासी–लीलावाली तह0संगरिया जिला हनुमानगढ़,(राज0)
3. अजय वीरसिह बराड पुत्र श्री भूपेन्द्र सिह बराड जाति जटसिख निवासी सैक्टर नम्बर 6 हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार, (राजस्व), संगरिया ,तहसील– संगरिया, जिला–हनुमानगढ़ –प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांडी –वकील वादी

2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1

निर्णय

दिनांक :– 7.6.2024

वादी लखवीर सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा व तकसीम खाता के तहत दिनांक 13–09–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का निवास स्थान का पंजीकृत पता सिविल प्रक्रीया संहिता के व्यापक प्रावधानों के अनुसार वही है, जो वाद शीर्षक में अंकित है। कि वादी एवं प्रतिवादी सं0:– 1 व 2 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं0:–2 एल0एल0डब्ल्यू0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2071–74 के खाता सं0– 139 / 3 मे 4.086 हैक्ट ब.हि. ब. संयुक्त खाता में कृषि भुमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कि वाद पत्र की चरण सं0:–02 में वर्णित कृषि भुमि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी मन्दी के मुताबिक खाला रास्ता कि सुविधा अनुसार घरू बंटवारनामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारनामा के रोज से ही वादी व प्रतिवादीगण बंटवारनामा में प्राप्त कृषि भुमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। कब्जा बाबत् आपस में कोई विवाद नही है, उक्त कृषि भुमि में इस प्रकार वादी को घरू बंटवारनामा में निम्नलिखित कृषि भुमि प्राप्त हुई है:

वादी सं.01 लखवीर सिह के हक व हिस्सा में कृषि भूमि –

चक नम्बर	खाता संख्या	प.न.	मु.न.	कि.न.
2 एल0एल0डब्ल्यू0.	139 / 3	159 / 218	39	2 / 1 / 0.215 है 2 / 2 / 0.038 गै.मु.रास्ता 3 / 1 / 0.215 है 3 / 2 / 0.038 गै.मु.रास्ता 4 / 1 / 0.215 है 4 / 2 / 0.038 गै.मु.रास्ता 5 / 1 / 0.215 है 5 / 2 / 0.038 गै.मु.[illegible] 8–2 / 0.506 है

कुल–1.518हैक्ट.नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि

Signature Not Verifi
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.06.18 16:48:0
Reason: SelfAttested

कि वादी को उक्त कृषि भूमि वादी के पिता श्री चनण सिह से विरासतन में प्राप्त हुई थी जि[illegible] वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारनामा कर लिया है, उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादी वाद पत्र की चरण सं0–03 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहें है। सांझा खाता मे दर्ज होने के कारण वादी के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पड़ रहा है तथा सदैव झगड़ा होने का अन्देशा बना रहता है, इसी कारण वादी उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाने व खाता तकसीम करवाकर अलग से रकमराज कायम दर्ज करवाना चाहते है। कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा हो चुका है उक्त कृषि भूमि मे प्रति. सं. 1 व 2 का 2/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि उक्त कृषि भूमि का अच्छी मन्दी के मुताबिक घरू बंटवारा कर लिया है उक्त बंटवारा के मुताबिक वादी को वाद पत्र कि चरण सं. 03 के मुताबिक कृषि भूमि हक व हिस्सा मे प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का हिस्सा कम किया जाकर वादी का हिस्सा वाद पत्र कि चरण सं. 3 के मुताबिक बढाया जावे इसलिये वादी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपना खाता तकसीम करवाकर अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है। कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हे वाद–पत्र की चरण सं0:–03 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, बस यही वाद कारण है।कि वादी के उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारनामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम नही किया गया तो वादी को कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नही आंकी जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। कि प्रति सं0–:4 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रति.सं. 3 को उक्त खाता मे कृषि भूमि खरीद कि होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है ंकि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे:–(क)–यह है कि इस आश्य की घोषणा फरमाई जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण सं0–03 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार वादी का खाता अलग किया जा कर प्रति.सं. 1 व 2 का हिस्सा कम किया जाकर वादी का हिस्सा बढाया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने जरिये जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 ने हाजीर अदालत आकर वाद पत्र मे राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स 4 का तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाव दावा प्रस्तुत हुआ जो शामिल प्रत्रावली किया गया। वकील वादी जवाव उलजवाव प्रस्तुत नही करना चाहते इस लिऐ जवाव उल जवाव बंद किया गया।दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादी ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा जं.बं. चक नं0:–2 एल0एल0डब्ल्यू0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2071–74 के खाता सं0–139/3 कृषि भूमि जो प्रदर्ष 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में हुए राजीनामा [illegible] दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 का वाद पत्र राजीनामा के आधार [illegible] डिकी किया जावे एव प्रतिवादी स 3 का खाता मुताबिक काउन्टर क्लेम अलग कायम कि[illegible] । वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादीगण के कथनो का विरोध नहीं करते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 का खाता मुताबिक राजीनाम व प्रतिवादी स 3 का खाता [illegible] जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र को डिकी करने हेतू निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्तागण पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आराजी के सह–काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 16:48:04
Reason: SelfAttested

2 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है व प्रतिवादी स 3 ने जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 मुताबिक राजीनामा व प्रतिवादी स 3 का जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 के राजीनामा व प्रतिवादी स 3 के काउन्टर क्लेम के विवेचन के आधार पर डिकी किया जाता हैं कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 का खाता मुताबिक राजीनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किया जाता है। व प्रतिवादी स 3 का खाता जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम की चरण स 10 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किया जाता हैं व चक नं0ः–2 एल0एल0डब्ल्यू0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2071–74 के खाता संख्या 139/3 मे प्रतिवादी स 3 को प.न 158/218 मु.न 40 कि.न 4/3/0.025है ,7/2/0.026है ,14/2/0.025है ,15/1/0.228है 15/2/0.025है गे.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 7.6.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.06.18 16:48:04 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 420/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

लखवीर सिह दतक पुत्र श्री चणन सिह जाति जटसिख निवासी–लीलावाली . तह0 संगरिया जिला–हनुमानगढ़,(राज0) –वादी

बनाम्

1. परमजीत सिह पुत्र श्री आत्मा सिह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तह संगरिया जिला हनुमानगढ़,(राज0)
2. मूर्ति कौर पत्नि श्री लखवीर सिह जाति जटसिख निवासी–लीलावाली तह0संगरिया जिला हनुमानगढ़,(राज0)
3. अजय वीरसिह बराड पुत्र श्री भूपेन्द्र सिह बराड जाति जटसिख निवासी सैक्टर नम्बर 6 हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार, राजस्व संगरिया तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ –प्रतिवादीगण

दिनांक :– 7.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक क्लेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 का खाता मुताबिक राजीनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किया जाता है। व प्रतिवादी स 3 का खाता जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम की चरण स 10 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किया जाता हैं व चक नं0:–2 एल0एल0डब्ल्यू0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2071–74 के खाता सं0– 139/3 मे प्रतिवादी स 3 को प.न 158/218 मु.न 40 कि.न 4/3/0.025है ,7/2/0.026है ,14/2/0.025है ,15/1/0.228है 15/2/0.025है गे.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व काउन्टर क्लेम की चरण स 10 मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

1. वादी व प्रतिवादी स 1 व 2 का राजीनामा मे वर्णित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) वादी सं.01 लखवीर सिह के हक व हिस्सा में कृषि भूमि –

चक नम्बर 2 एल0एल0डब्ल्यू0. खाता संख्या 139/3

प.न.	मु.न.	कि.न.
159/218	39	2/1/0.215 है 2/2/0.038 गै.मु.रास्ता
		3/1/0.215 है 3/2/0.038गै.मु.रास्ता
		4/1/0.215 है 4/2/0.038 गै.मु.रास्ता
		5/1/0.215 है 5/2/0.038 गै.मु.रास्ता
		8–9/0.506है

कुल–1.518हैक्ट.नहरी मय गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 16:48
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ख) प्रतिवादी स 1 परमजीत सिंह के हक व हिस्सा में कृषि भूमि –

चक नम्बर 2 एल0एल0डब्ल्यू0. खाता संख्या 139/3

प.न.	मु.न.	कि.न.
158/218	40	5/1/0.190है,5/2/0.063है गे.मु.रा 6/1/0.228है,6/2/0.025है गे.मु.रा
159/218	39	1/1/0.215है ,1/2/0.038है गे.मु.रा 10/0.253है

कुल–1.012है मय गे.मु

(ग) प्रतिवादी स 2 मूर्ती कौर के हक व हिस्सा में कृषि भूमि –

चक नम्बर 2 एल0एल0डब्ल्यू0. खाता संख्या 139/3

प.न.	मु.न.	कि.न.
159/218	39	6,7/0.506है
160/218	38	1/1/0.215है ,1/2/0.038 गै.मु.रास्ता 2/1/0.177है ,2/2/0.038 गै.मु.रास्ता 10/0.253है

कुल–1.227है मय गे.मु.

2. प्रतिवादी स 3 के जवाव दावा मय काउन्टर क्लेम की चरण स 10 का विवरण निम्न प्रकार से है ।

(क) प्रतिवादी स 3 अजय वीरसिंह बराड के हक व हिस्सा की भूमि

चक नं0ः–2 एल0एल0डब्ल्यू0 खाता सं0– 139/3

प.न	मु.न	कि.न
158/218	40	4/3/0.025है ,7/2/0.026है , 14/2/0.025है ,15/1/0.228है 15/2/0.025है

कुल–0.329है

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......100/-......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक......X......अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......7.6.2024......जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 16:48
Reason: SelfAttested